भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

**राज्य सभा**

अतारांकित प्रश्न संख्या 566
04 फरवरी, 2026 को उत्तर के लिए

## पीएमएमएसवाई की निधियों का कम उपयोग

**566. श्रीमती फूलो देवी नेतम:**
**श्रीमती रंजीत रंजन:**

क्या ***मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री*** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के तहत बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और वास्तविक खर्च के बीच राज्य - वार कितनी कमी रही है;

(ख) एसएनए स्पर्श दिशानिर्देशों के अनुपालन में विफल रहने वाले राज्यों की वर्ष - वार संख्या क्या है और गैर-अनुपालन की विशिष्ट प्रकृति क्या है;

(ग) 2022-23 से 2024-25 तक पीएमएमएसवाई के अनुसूचित जाति उप-योजना घटक (एससीएसपी) के तहत राज्य-वार आवंटन बनाम वास्तविक खर्च क्या रहा है; और

(घ) इस अवधि के दौरान एससीएसपी के तहत प्रस्ताव प्रस्तुत करने में विफल रहने वाले राज्यों की संख्या कितनी है ?

**उत्तर**

**मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री**
**श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह**

(क): केंद्रीय वार्षिक बजट अनुमान और संशोधित अनुमान अनुमोदित योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए योजना-वार आवंटित किए गए हैं, न कि राज्य-वार। विगत तीन वित्तीय वर्षों (2022-23 से 2024-25) के दौरान प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के अंतर्गत बजट अनुमान (BE) और संशोधित अनुमान (RE) और वास्तविक व्यय (AE) का वर्ष-वार विवरण नीचे दिया गया है:

**(रुपए करोड़ में)**

| **क्र.सं.** | **वर्ष** | **बजट अनुमान (BE)** | **संशोधित अनुमान (RE)** | **वास्तविक व्यय (AE)** |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-23 | 1879.00 | 1410.00 | 1169.86 |
| 2 | 2023-24 | 2000.00 | 1500.00 | 1148.88 |
| 3 | 2024-25 | 2352.00 | 1500.00 | 977.28 |

मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने विगत तीन वित्तीय वर्षों (2022-23 से 2024-25) के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के मात्स्यिकी और जलकृषि विकास प्रस्तावों को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के अंतर्गत 13,924.23 करोड़ रुपए की कुल लागत पर स्वीकृति दी है, जिसमें केंद्रीय शेयर 6415.84 करोड़ रुपए है। PMMSY के अंतर्गत विभिन्न अनुमोदित मात्स्यिकी और जलकृषि विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए विगत तीन वर्षों (2022-23 से 2024-25) के दौरान राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को 3622.54 करोड़ रुपए की केंद्रीय निधि जारी की गई है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जहां भारत सरकार मैचिंग शेयर के आधार पर धन प्रदान करती है। योजना का वास्तविक कार्यान्वयन राज्य सरकारों और उनकी कार्यान्वयन एजेंसियों की जिम्मेदारी है। निधियों के कम उपयोग के मुख्य कारण इस प्रकार हैं:

(i) निधि प्रवाह तंत्र पर नए दिशानिर्देशों के अनुपालन में देरी और राज्यों द्वारा तंत्र के उपयोग की तैयारी : मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार राज्यों की वार्षिक कार्य योजनाओं को मंजूरी देता है और वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार धन जारी करने के लिए मूल स्वीकृति (मदर सैंकशन) जारी करता है। हालांकि, राज्य जमीनी स्तर पर अपनी तैयारी के अनुसार ही धन का उपयोग कर सकते हैं।

(ii) SNA–SPARSH पर ऑन-बोर्डिंग में देरी: कुछ राज्य सरकारों ने SNA–SPARSH प्रणाली में स्थानांतरित होने में समय लिया, जिसमें खाते खोलना और आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करना शामिल है। इससे धन जारी करने और उपयोग में देरी हुई।

(iii) गत वर्षों की अप्रयुक्त राशि: राज्यों को नए केंद्रीय धन प्राप्त करने से पहले पहले पूर्व के वर्षों के अप्रयुक्त केंद्रीय धन का उपयोग करना आवश्यक है। इस तरह अप्रयुक्त राशि ने नए रिलीज को प्रतिबंधित कर दिया है और इसके परिणामस्वरूप कम उपयोग हुआ है।

(iv) राज्यों द्वारा धीमी गति से खर्च: लाभार्थी के चयन, निविदा, भूमि के मुद्दों और परियोजनाओं, विशेष रूप से बुनियादी ढांचे से संबंधित कार्यों के निष्पादन में देरी के कारण राज्य स्तर पर खर्च धीमी गति से हुआ है।

(v) राज्य के शेयर को प्रदान करने में देरी: चूंकि पीएमएसएसवाई मेचिंग शेयर के आधार पर काम करता है, अत: राज्य के हिस्से को समय पर जारी करना आवश्यक है। कुछ मामलों में, वित्तीय बाधाओं के कारण राज्य समय पर अपना हिस्सा जारी नहीं कर सके, जिससे केंद्रीय निधि के उपयोग पर असर पड़ा।

(vi) व्यवहार्य परियोजना प्रस्तावों की कमी: कुछ राज्यों ने पीएमएसएसवाई दिशानिर्देशों के अनुसार पर्याप्त आर्थिक और तकनीकी रूप से सुदृढ़ परियोजनाएं प्रस्तुत नहीं कीं। कमजोर परियोजना नियोजन और सीमित तकनीकी क्षमता ने अनुमोदन और निधि उपयोग को प्रभावित किया।

(vii) मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार द्वारा नियमित निगरानी: मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार के द्वारा योजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा साप्ताहिक वरिष्ठ अधिकारियों की बैठकों (SoM) तथा राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ आयोजित आवधिक क्षेत्रीय समीक्षा बैठकों (RRM) के माध्यम से की जाती है। निकट निगरानी के बावजूद वास्तविक उपयोग राज्यों द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं/गतिविधियों के कार्यान्वयन की गति पर निर्भर करता है।

विगत तीन वित्तीय वर्षों (2022-23 से 2024-25) के दौरान PMMSY के अंतर्गत अनुमोदित प्रस्तावों और जारी केंद्रीय निधियों का राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार विवरण **अनुबंध- I** में दिया गया है।

(ख): केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर नकद प्रबंधन में अधिक दक्षता लाने के लिए, भारत सरकार ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं (CSS) सहित प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के अंतर्गत "जस्ट-इन-टाइम" आधार पर राज्य सरकारों को केंद्रीय निधि जारी करने के लिए **SNA-SPARSH** नामक एक वैकल्पिक निधि प्रवाह तंत्र को अधिसूचित किया है। इस नई निधि प्रवाह तंत्र के अंतर्गत, कुल 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है और इनमें से 30 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों ने SNA-SPARSH दिशानिर्देशों का पालन करके SNA-SPARSH मोड के माध्यम से PMMSY को कार्यान्वित कर दिया है। मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार को दिल्ली सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) और (घ): मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) में अन्य बातों के साथ-साथ लाभार्थी-उन्मुख गतिविधियों के तहत अनुसूचित जाति (SC) लाभार्थियों के लिए इकाई लागत का 60 प्रतिशत की उच्च वित्तीय सहायता प्रदान करके समावेशी विकास शामिल है। विगत तीन वित्तीय वर्षों (2022-23 से 2024-25) के दौरान, कुल 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने PMMSY के अंतर्गत अनुसूचित जाति लाभार्थियों को लाभ प्रदान करने के लिए पीएमएमएसवाई के अनुसूचित जाति उप-योजना (SCSP) घटक के अंतर्गत धनराशि का उपयोग किया है। विगत तीन वित्तीय वर्षों (2022-23 से 2024-25) के दौरान PMMSY के अनुसूचित जाति उप-योजना (SCSP) घटक के तहत जारी किए गए केंद्रीय निधियों का राज्य-वार विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

*****

**अनुबंध-I**

**पीएमएमएसवाई की निधियों का कम उपयोग के संबंध में 4 फरवरी, 2026 को उत्तर के लिए माननीय संसद सदस्य श्रीमती फूलो देवी नेतम और श्रीमती रंजीत रंजन द्वारा पूछे गए राज्यसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 566 के भाग-(क) के उत्तर में संदर्भित विवरण: पीएमएमएसवाई के अंतर्गत विगत तीन वित्तीय वर्षों (2022-23 से 2024-25) के दौरान अनुमोदित प्रस्तावों और जारी किए गए केंद्रीय निधि का राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार विवरण**

**(रुपए लाख में)**

| **क्र सं.** | **राज्य/केंद्र शासित प्रदेश** | **वित्त वर्ष 2022-23 to वित्त वर्ष 2024-25** | |
|---|---|---|---|
| | | **स्वीकृत केन्द्रीय शेयर** | **जारी की गई निधि** |
| 1 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 1684.25 | 500.00 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 43719.40 | 20604.68 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 10739.24 | 10069.97 |
| 4 | असम | 20184.95 | 11043.02 |
| 5 | बिहार | 8817.06 | 2641.74 |
| 6 | छत्तीसगढ़ | 24332.65 | 17123.00 |
| 7 | दिल्ली | 1179.49 | 0.00 |
| 8 | गोवा | 19141.86 | 2527.15 |
| 9 | गुजरात | 21342.86 | 3742.14 |
| 10 | हरियाणा | 4607.26 | 9562.64 |
| 11 | हिमाचल प्रदेश | 5052.19 | 3232.64 |
| 12 | जम्मू और कश्मीर | 7542.91 | 5479.56 |
| 13 | झारखंड | 24641.53 | 3341.44 |
| 14 | कर्नाटक | 41787.63 | 13382.42 |
| 15 | केरल | 1604.76 | 25804.29 |
| 16 | लद्दाख | 1407.90 | 1014.02 |
| 17 | लक्षद्वीप | 19478.80 | 0.00 |
| 18 | मध्य प्रदेश | 37134.75 | 14316.19 |
| 19 | महाराष्ट्र | 8129.62 | 22751.66 |
| 20 | मणिपुर | 5570.31 | 1000.00 |
| 21 | मेघालय | 4523.74 | 3039.84 |
| 22 | मिजोरम | 7760.83 | 4393.58 |
| 23 | नागालैंड | 29495.46 | 5185.25 |
| 24 | ओडिशा | 25918.89 | 18381.21 |
| 25 | पुडुचेरी | 2475.70 | 4231.00 |
| 26 | पंजाब | 1447.50 | 2128.08 |
| 27 | राजस्थान | 3176.10 | 148.81 |
| 28 | सिक्किम | 28896.96 | 2763.42 |
| 29 | तमिलनाडु | 6814.98 | 10419.87 |
| 30 | तेलंगाना | 12886.00 | 1336.47 |
| 31 | त्रिपुरा | 11344.95 | 4137.43 |
| 32 | उत्तर प्रदेश | 22170.55 | 14232.77 |
| 33 | उत्तराखंड | 10756.36 | 12444.50 |
| 34 | पश्चिम बंगाल | 22548.45 | 5507.70 |

*****

**अनुबंध-II**

**पीएमएमएसवाई की निधियों का कम उपयोग के संबंध में 4 फरवरी, 2026 को उत्तर के लिए माननीय संसद सदस्य श्रीमती फूलो देवी नेतम और श्रीमती रंजीत रंजन द्वारा पूछे गए राज्यसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 566 के भाग-(ग) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण: विगत तीन वित्तीय वर्षों (वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2024-25) के दौरान PMMSY के अनुसूचित जाति उप-योजना (SCSP) घटक के अंतर्गत जारी केंद्रीय निधि का राज्य-वार विवरण:**

**(रुपए लाख में)**

| **क्र.सं** | **राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का नाम** | **वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2024-25 के दौरान SCSP के अंतर्गत जारी की गई केंद्रीय निधि** |
|---|---|---|
| 1 | आंध्र प्रदेश | 8595.00 |
| 2 | असम | 3401.44 |
| 3 | बिहार | 1143.49 |
| 4 | छत्तीसगढ़ | 1723.96 |
| 5 | हरियाणा | 3312.35 |
| 6 | हिमाचल प्रदेश | 376.03 |
| 7 | जम्मू और कश्मीर | 386.14 |
| 8 | झारखंड | 1588.47 |
| 9 | कर्नाटक | 2332.82 |
| 10 | केरल | 2760.45 |
| 11 | मध्य प्रदेश | 2699.54 |
| 12 | महाराष्ट्र | 4380.86 |
| 13 | ओडिशा | 2529.08 |
| 14 | पंजाब | 337.44 |
| 15 | राजस्थान | 100.00 |
| 16 | सिक्किम | 1018.81 |
| 17 | तमिलनाडु | 1752.00 |
| 18 | तेलंगाना | 700.00 |
| 19 | त्रिपुरा | 1654.54 |
| 20 | उत्तर प्रदेश | 2920.18 |
| 21 | उत्तराखंड | 1922.44 |
| 22 | पश्चिम बंगाल | 1350.64 |

*****